**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 3797**

**उत्तर देने की तारीख: 12.08.2025**

**अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाएं**

**3797. श्री बलवंत बसवंत वानखडेः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति के छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के लिए प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधाओं सहित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और कितने छात्रों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री रामदास आठवले)**

**(क) और (ख):** राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना के तहत, अनुसूचित जाति (एससी) आदि के छात्रों को विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता में आवास शुल्क, रहने का खर्च, ट्यूशन फीस, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, आकस्मिक यात्रा भत्ता, उपकरण भत्ता और सबसे छोटे मार्ग से इकोनॉमी क्लास में आने-जाने का हवाई किराया शामिल है।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जिन छात्रों को ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं उनकी संख्या **संलग्नक** में दी गई है।

**<u>संलग्नक</u>**

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3797, जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक**

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जिन छात्रों को ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनकी संख्या:

| क्र.सं. | वर्ष | लाभार्थियों (विदेश गए) की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2022-23 | 98 |
| 2 | 2023-24 | 114 |
| 3 | 2024-25 | 79 |
| 4 | 2025-26 | चयनित 106 उम्मीदवारों को अवार्ड लेटर जारी कर दिए गए हैं तथा इन उम्मीदवारों को अभी अध्ययन के लिए विदेश जाना है। |

*****